राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– ई–11/नर्स–2/सी–415/2018/ दिनांक–

आदेश

एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 21544/2017 चिन्तन द्विवेदी बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.17 की पालना में श्री चिन्तन द्विवेदी ने अभ्यावेदन दिनांक 29.11.17 के साथ निर्णय की प्रति संलग्न कर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सागवाडा (डूंगरपुर) में नर्स–2 की अधिशेष सूची नियमानुसार बनाकर वास्तव अधिशेष कार्मिकों को मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाने व अधिशेष नहीं होने वाले नर्स–2 को पुनः प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सागवाडा (डूगरपुर) में पदस्थापित किये जाने का निवेदन किया है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.17 निम्न प्रकार है:–

"At the very outset, learned counsel for the petitioner submits that at this stage, the petitioner would be satisfied, if the Staterespondents are directed to consider and decide the representation within a time frame, which the petitioner is ready and willing to address within two weeks hereinafter.

In view of the limited prayer addressed; the instant writ proceedings are closed with a direction to the petitioner to address a comprehensive representation to the respondents ventilating his grievances.

In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the State-respondents are directed to consider and decide the same by a reasoned and speaking order as expeditiously as possible in accordance with law. However, in no case later than four weeks from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order.

With the observations and directions, as indicated above, the writ application stands disposed off"

प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 24.11.17 के तथ्यो के मध्यनजर पूर्ण विवेचन व मनन पश्चात निदेशालय के आदेश कमाक 1400 दिनांक 03.11.17 में आंशिक संशोधन करते हुये, **श्रीमति रीना मनात**, **श्रीमति शीला पाटीदार**, **श्री चिन्तन द्विवेदी**, नर्स–2 को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सागवाडा के अधीन व **श्री भुवनेश भावसार**, **श्री अनिल निमामा एवं श्री आशीष पाटीदार** को राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी के अधीन संचालित नवीन मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित करते हुये याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन दिनांक 24.11.17 को एतद् द्वारा निस्तारित किया जाता है।

–sd–
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– ई–11/नर्स–2/सी–415/2018/999 दिनांक– 09/07/2018

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,जोन उदयपुर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी का निर्धारण कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व सीसीए नियम 16 के अंतर्गत आरोप पत्रादि भिजवावें।
2. प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय सागवाडा (डूंगरपुर)।
5. उपविधि परामर्शी मुख्यालय।
6. सबंधित याचिकाकर्ता को रिट पर उपलब्ध पते पर।
7. प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।